Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 179–2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021 (KARTIKA 12, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 नवंबर, 2021

संख्या 60/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 21 और 59/2021.– हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 21 और 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 09/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 9/2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं, शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, पंजाब आसवनी नियम, 1932 हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. ये नियम पंजाब आसवनी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब आसवनी नियम, 1932 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, उपनियम (घ) के बाद,–

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''：'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु किसी ईथेनॉल संयंत्र के लिए उपरोक्त प्रमाणपत्र की आवश्यक्ता नहीं होगी यदि अनुज्ञप्ति केवल ईथेनॉल के उत्पादन के लिए नया ईथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए या डी–2 अनुज्ञप्ति के विद्यमान अनुज्ञाप्त परिसर के भीतर नया स्टैंडअलोन पृथक ईथेनॉल संयंत्र संस्थापित करने के लिए मांगी गई है (जिसमें कोई भी कॉमन बॉयलर, टरबाइन, आसवन प्रक्रिया और ऐसी समरूप सुविधाएं) नहीं होनी चाहिए।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप–नियम (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(क) निम्नलिखित अनुज्ञप्ति के लिए रुपये की राशि जमा, अर्थात्: –

	अनुज्ञप्ति	वार्षिक फीस
1.	डी–2	1,25,00,000/–रूपये जमा 1,30,000/–रूपये संस्थापित क्षमता का प्रति किलो लीटर
2.	डी–2क	15,00,000/–रूपये, विद्यमान डी–2 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त
3.	डी–2ख	5,00,000/–रूपये''।

4. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"5. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित रूप में होगी, अर्थात्: –

1.	डी–2	सामान्य आसवनी के लिए अनुज्ञप्ति
2.	डी–2क	डी–2 अनुज्ञप्ति के विद्यमान अनुज्ञप्त परिसर के भीतर संस्थापित नए स्टैंडअलोन पृथक ईथेनॉल संयंत्र के लिए अनुज्ञप्ति (जिसमें कोई भी कॉमन बॉयलर, टरबाइन, आसवन प्रक्रिया और ऐसी समरूप सुविधाएं नहीं होनी चाहिए)
3.	डी–2ख	केवल ईथेनॉल के उत्पादन के लिए आसवनी अनुज्ञप्ति

वित्तायुक्त की स्वीकृति के सिवाय उपरोक्त अनुज्ञप्तियाँ हस्तांतरणीय नहीं होंगी।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"6. अनुज्ञप्तिधारी, सभी भुगतान जो सरकार को देय बनतें हैं, के सम्यक् उन्मोचन के लिए परिसर, स्प्रिट के स्टॉक, स्टिल्स, स्प्रिट के विनिर्माण और भंडारण में नियोजित सभी उपकरण और बर्तनों को प्लेज रखते हुए

क. प्ररूप डी–2 में अनुज्ञप्तिधारी, प्ररूप डी–3 में बन्धपत्र निष्पादित करेगा;

ख. प्ररूप डी–2क या डी–2ख में अनुज्ञप्तिधारी, प्ररूप डी–3क में बन्धपत्र निष्पादित करेगा, वित्तीय आयुक्त की स्वीकृति से, अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे बन्धपत्र को निष्पादित करने के बदले में, ऐसे मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जमा कर सकता है जो वित्तीय आयुक्त निर्देशित करे। इस नियम के अधीन की गई जमा, नियम 4 द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति जमा से पृथक और सुभिन्न होगी।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जब तक कि इसे पहले से रद्द, निर्धारित या अभ्यर्पित नहीं किया जाता है और अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर निम्नलिखित वार्षिक फीस के भुगतान पर एक वर्ष के लिए नवीकरणीय होगी :–

	अनुज्ञप्ति	वार्षिक फीस
1.	डी–2	1,25,00,000 / – रूपये जमा 1,30,000 / – रूपये संस्थापित क्षमता का प्रति किलो लीटर
2.	डी–2क	15,00,000 / –रूपये, विद्यमान डी–2 अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्त फीस के अतिरिक्त
3.	डी–2ख	5,00,000 / –रूपये:

परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति, उसके निबन्धन तथा शर्तों के उल्लंघन के लिए रद्द की जा सकती है अथवा अनुज्ञप्तिधारी को छह मास का नोटिस देने के बाद जैसा वित्तीय आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाए।"।

7. उक्त नियमों में, प्ररूप डी–2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"प्ररूप डी–2क

(देखिए नियम 5)

ईथेनॉल अनुज्ञप्ति

हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 21 के अधीन मैसर्स ______________________ को पंजाब आसवनी नियम, 1932 के साथ इसमें विनिर्दिष्ट ईथेनॉल के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्तिधारी मैसर्स______________ को निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों और तत्समय लागू किसी भी विधि के अधीन बनाए गए सभी नियमों की अनुपालना करेगा, जो विनिर्माण, स्वामित्व, जारी करने, बिक्री और परिवहन के लिए लागू हैं।

2. स्टिल्स (आसवन स्तंभ) की संख्या, आकार, विवरण और क्षमता का विवरण, जिसे अनुज्ञप्तिधारी इस लाइसेंस के अधीन परिनिर्मित कर सकता है या बनाए रख सकता है और परिसर और भवनों के प्लानों और विवरणों को ईथेनॉल के विनिर्माण के लिए आसवनी के रूप में उपयोग कर सकता है और आसवन के कारबार से जुड़े स्टोर हाऊस और अन्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय आयुक्त, हरियाणा द्वारा अनुमोदित प्लानों के अनुसार सख्ती से बनाए रखा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, वित्तीय आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना, अन्य स्टिल्स (आसवन स्तंभ) का परिनिर्माण नहीं करेगा या अन्यथा इन भवनों और संयंत्रों में परिवर्तन नहीं करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी, इसके द्वारा अनुज्ञप्ति संयंत्रों, भवनों तथा स्टिल्स, कलक्टर संतुष्टि के अनुसार, हर समय दक्षता और अच्छी मरम्मत की स्थिति में बनाए रखेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार विहित प्ररूप में, कलक्टर द्वारा यथा अपेक्षित, सत्य विवरण प्रस्तुत करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय आयुक्त के सभी निर्देशों का पालन करेगा, जिसमें ईथेनॉल के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली स्पिरिट्स और अन्य सम्बन्धित सामग्री, रखरखाव की जाने वाली स्टॉक सामग्री, ईथेनॉल में जोड़े जाने वाले डिनैचुरेंट्स और अन्य सभी मामलों में जिसका अनुपालन हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है।

6. यह अनुज्ञप्ति शीरा/अनाज आधारित ईथेनॉल विनिर्माण इकाई के लिए जारी किया जाता है, जिसकी स्थापित क्षमता _________ के एल प्रति दिन है।

7. अनुज्ञप्तिधारी कलक्टर को कार्य बन्द करने के अपने आशय की छह मास की लिखित सूचना दिए बिना ईथेनॉल निर्माण इकाई (सफाई या मरम्मत के लिए बंद होने के मामले को छोड़कर) के काम को बंद नहीं करेगा। वह नोटिस की अवधि के दौरान अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों को पूरा करना जारी रखेगा।

8. यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, या कारण बनता है या किसी व्यक्ति को उल्लंघन करने की अनुमति देता है, तो किसी भी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त जो तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन हो सकती है, वित्तीय आयुक्त अनुज्ञप्ति को तुरंत रद्द और निर्धारित कर सकता है और नियम 4 या नियम 7 के तहत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई राशि को पूरे या किसी भाग को सरकार को समपहरण कर सकता है तथा प्ररूप डी–3क के अनुसार दी गई क्षतिपूर्ति का आह्वान कर सकता है।

9. अनुज्ञप्तिधारी नियमित रूप से और नियत तिथि तक अनुज्ञप्ति फीस और अन्य उद्ग्रहणों का भुगतान करेगा जो सरकार को देय हो सकता है और इसकी चूक में, वित्तीय आयुक्त समय–समय पर यथा संशोधित, पंजाब आसवनी नियम, 1932 के नियम 6 के अधीन उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति को पूर्णतः या किसी भाग को सरकार को समपहरण कर सकता है।

10. अनुज्ञप्ति, समय–समय पर सरकार द्वारा नियत फीस के भुगतान पर और अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर वार्षिक रूप से नवीकरणीय होगी:

परंतु यदि ऐसा आवेदन ऐसी अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो वित्तीय आयुक्त, ऐसी शास्ति जो एक लाख रुपये से कम और दो लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है, जैसा वह उचित समझे, के भुगतान पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर सकता है।

11. अनुज्ञप्ति उसकी किसी निबन्धनों तथा शर्तों के उल्लंघन के लिए रद्द की जा सकती है या अनुज्ञप्तिधारी को छह मास का नोटिस देने के बाद वित्तीय आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वित्तीय आयुक्त अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में नोटिस दे सकता है कि उसकी अनुज्ञप्ति को नोटिस में निश्चित अवधि की समाप्ति पर निर्धारित किया जाएगा।

12. यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी भी कारण से, शारीरिक या मानसिक, कारबार करने में असमर्थ हो जाता है, या मर जाता है या दिवालिया हो जाता है, या यदि अनुज्ञप्तिधारी कंपनी है, तो परिसमाप्त हो जाती है, वित्तीय आयुक्त या तो (1) अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है, (2) इसे अनुज्ञप्तिधारी के विधिक प्रतिनिधि के नाम से जारी रख सकता है।

13. पूर्ववर्ती शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण, रद्दकरण या निर्धारण पर, अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि तुरंत आसवन बंद कर देगा और प्रयोजन, जिसके लिए उन्हें अनुज्ञप्ति दी गई थी, हेतु भवनों और प्लानों का उपयोग करना बंद कर देगा। न तो अनुज्ञप्तिधारी और न ही कोई अन्य व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरण, रद्दकरण या निर्धारण के संबंध में किसी भी प्रतिफल या हर्जाना जो कुछ भी हो, का हकदार नहीं होगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी, वित्त आयुक्त की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुज्ञप्त परिसर के पूरे या किसी हिस्से को बंधक नहीं रख सकता है।

15. अनुज्ञप्तिधारी पंजाब आसवनी नियम, 1932 के नियम 15 के अनुसार छह मास के भीतर इकाई के परिसर में सरकारी आबकारी प्रतिष्ठान के लिए उपयुक्त कार्यालय और रहने की सुविधा प्रदान करेगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों आदि का पालन करेगा।

17. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वांछित सूचना एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

18. इस अनुज्ञप्ति की वैधता __________ से ____________ तक, वार्षिक आधार पर विहित फीस पर नवीकरणीय होगी।

दिनांक:______________

वित्तीय आयुक्त,
हरियाणा।

प्ररूप डी–2ख

(देखिए नियम 5)

ईथेनॉल अनुज्ञप्ति

हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 21 के अधीन मैसर्स ______________________________ को पंजाब आसवनी नियम, 1932 के साथ इसमें विनिर्दिष्ट ईथेनॉल के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्तिधारी मैसर्स_______________ को निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों और तत्समय लागू किसी भी विधि के अधीन बनाए गए सभी नियमों की अनुपालना करेगा, जो विनिर्माण, स्वामित्व, जारी करने, बिक्री और परिवहन के लिए लागू हैं।

2. स्टिल्स (आसवन स्तंभ) की संख्या, आकार, विवरण और क्षमता का विवरण, जिसे अनुज्ञप्तिधारी इस लाइसेंस के अधीन परिनिर्मित कर सकता है या बनाए रख सकता है और परिसर और भवनों के प्लानों और विवरणों को ईथेनॉल के विनिर्माण के लिए आसवनी के रूप में उपयोग कर सकता है और आसवन के कारबार से जुड़े स्टोर हाऊस और अन्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय आयुक्त, हरियाणा द्वारा अनुमोदित प्लानों के अनुसार सख्ती से बनाए रखा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी, वित्तीय आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना, अन्य स्टिल्स (आसवन स्तंभ) का परिनिर्माण नहीं करेगा या अन्यथा इन भवनों और संयंत्रों में परिवर्तन नहीं करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी, इसके द्वारा अनुज्ञप्ति संयंत्रों, भवनों तथा स्टिल्स, कलक्टर संतुष्टि के अनुसार, हर समय दक्षता और अच्छी मरम्मत की स्थिति में बनाए रखेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार विहित प्ररूप में, कलक्टर द्वारा यथा अपेक्षित, सत्य विवरण प्रस्तुत करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय आयुक्त के सभी निर्देशों का पालन करेगा, जिसमें ईथेनॉल के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली स्पिरिट्स और अन्य सम्बन्धित सामग्री, रखरखाव की जाने वाली स्टॉक सामग्री, ईथेनॉल में जोड़े जाने वाले डिनैचुरेंट्स और अन्य सभी मामलों में जिसका अनुपालन हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है।

6. यह अनुज्ञप्ति शीरा/अनाज आधारित ईथेनॉल विनिर्माण इकाई के लिए जारी किया जाता है, जिसकी स्थापित क्षमता _________ के एल प्रति दिन है।

7. अनुज्ञप्तिधारी कलक्टर को कार्य बन्द करने के अपने आशय की छह मास की लिखित सूचना दिए बिना ईथेनॉल निर्माण इकाई (सफाई या मरम्मत के लिए बंद होने के मामले को छोड़कर) के काम को बंद नहीं करेगा। वह नोटिस की अवधि के दौरान अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों को पूरा करना जारी रखेगा।

8. यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, या कारण बनता है या किसी व्यक्ति को उल्लंघन करने की अनुमति देता है, तो किसी भी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त जो तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन हो सकती है, वित्तीय आयुक्त अनुज्ञप्ति को तुरंत रद्द और निर्धारित कर सकता है और नियम 4 या नियम 7 के तहत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई राशि को पूरे या किसी भाग को सरकार को समपहरण कर सकता है तथा प्ररूप डी–3क के अनुसार दी गई क्षतिपूर्ति का आह्वान कर सकता है।

9. अनुज्ञप्तिधारी नियमित रूप से और नियत तिथि तक अनुज्ञप्ति फीस और अन्य उद्ग्रहणों का भुगतान करेगा जो सरकार को देय हो सकता है और इसकी चूक में, वित्तीय आयुक्त समय–समय पर यथा संशोधित, पंजाब आसवनी नियम, 1932 के नियम 6 के अधीन उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति को पूर्णतः या किसी भाग को सरकार को समपहरण कर सकता है।

10. अनुज्ञप्ति, समय–समय पर सरकार द्वारा नियत फीस के भुगतान पर और अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर वार्षिक रूप से नवीकरणीय होगीः

परंतु यदि ऐसा आवेदन ऐसी अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो वित्तीय आयुक्त, ऐसी शास्ति जो एक लाख रुपये से कम और दो लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है, जैसा वह उचित समझे, के भुगतान पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर सकता है।

11. अनुज्ञप्ति उसकी किसी निबन्धनों तथा शर्तों के उल्लंघन के लिए रद्द की जा सकती है या अनुज्ञप्तिधारी को छह मास का नोटिस देने के बाद वित्तीय आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वित्तीय आयुक्त अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में नोटिस दे सकता है कि उसकी अनुज्ञप्ति को नोटिस में निश्चित अवधि की समाप्ति पर निर्धारित किया जाएगा।

12. यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी भी कारण से, शारीरिक या मानसिक, कारबार करने में असमर्थ हो जाता है, या मर जाता है या दिवालिया हो जाता है, या यदि अनुज्ञप्तिधारी कंपनी है, तो परिसमाप्त हो जाती है, वित्तीय आयुक्त या तो (1) अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है, (2) इसे अनुज्ञप्तिधारी के विधिक प्रतिनिधि के नाम से जारी रख सकता है।

13. पूर्ववर्ती शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण, रद्दकरण या निर्धारण पर, अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि तुरंत आसवन बंद कर देगा और प्रयोजन, जिसके लिए उन्हें अनुज्ञप्ति दी गई थी, हेतु भवनों और प्लानों का उपयोग करना बंद कर देगा। न तो अनुज्ञप्तिधारी और न ही कोई अन्य व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरण, रद्दकरण या निर्धारण के संबंध में किसी भी प्रतिफल या हर्जाना जो कुछ भी हो, का हकदार नहीं होगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी, वित्त आयुक्त की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुज्ञप्त परिसर के पूरे या किसी हिस्से को बंधक नहीं रख सकता है।

15. अनुज्ञप्तिधारी पंजाब आसवनी नियम, 1932 के नियम 15 के अनुसार छह मास के भीतर इकाई के परिसर में सरकारी आबकारी प्रतिष्ठान के लिए उपयुक्त कार्यालय और रहने की सुविधा प्रदान करेगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों आदि का पालन करेगा।

17. अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा जब कभी अपेक्षित हो वांछित सूचना एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

18. इस अनुज्ञप्ति की वैधता __________ से ____________ तक, वार्षिक आधार पर विहित फीस पर नवीकरणीय होगी।

दिनांक:_______________

वित्तीय आयुक्त,
हरियाणा।''।

8. उक्त नियमों में, प्ररूप डी–3 के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:–

''प्ररूप डी–3क

अनुज्ञप्तिधारी का बन्धपत्र

यह अनुबंध _________ 20 _____ के _________ दिन को ______________ पुत्र, श्री _________ जाति ____________, निवासी ___________ (जिसे, इसमें, इसके बाद, बंधककर्ता कहा गया है) और हरियाणा के राज्यपाल (जिसे, इसमें, इसके बाद, सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के बीच किया गया है चूंकि बन्धककर्ता को पंजाब आसवनी नियम, 1932 के अनुसार _________ के _________दिन को _________ को ________ में ईथेनॉल विनिर्माण इकाई में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी। उक्त अनुज्ञप्ति उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप डी–2क/डी–2ख के निबन्धनों के अनुसार है।

और चूंकि उक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार, बंधककर्ता से उन सभी भुगतानों के सम्यक् उन्मोचन के लिए एक बंधक बंधपत्र निष्पादित करना आवश्यक है, जो उक्त इकाई के मद्दे सरकार को उसके द्वारा समय–समय पर, देय हो सकते हैं।

अब यह अनुबंध इस बात का गवाह है कि उक्त नियम 6 की अनुपालना में और उक्त ईथेनॉल विनिर्माण इकाई को ___________ में काम करने के लिए उक्त अनुज्ञप्ति के गिरवीकर्ता को देने के विचारण में, इसके द्वारा, सरकार को ऐसे सभी भुगतानों का भुगतान करने के लिए सरकार के साथ अनुबंध करता है जो समय–समय पर, उक्त इकाई के कामकाज के संबंध में भुगतान योग्य हो, जिस दिन ऐसे भुगतान देय होंगे और उक्त नियम 6 की अनुपालना में और या उसी प्रतिफल के रूप में बन्धककर्ता पूर्ण स्वत्वधारी के रूप में इसके द्वारा देता है, प्रवहण करता है, और सौंपता है और उन विरासतों और परिसरों में स्थित है और अधिक विशेष रूप से वर्णित और इसके सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और इसके साथ संलग्न योजना पर रंगीन _________________ अंकित किया गया है और ईथेनॉल विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले स्पिरिट के सभी स्टॉक और अन्य सहायक सामग्री, और उपकरण, तथा बर्तन जो कि स्पिरिट के विनिर्माण और भण्डारण में नियोजित, अब इसके बाद, समय–समय पर उक्त परिसर में लाए जाने के लिए, सभी सुखभोगों, अधिकारों और चीजों के साथ–साथ उक्त परिसर से संबंधित या प्रतिष्ठित और सभी संपत्ति, अधिकार, शीर्षक, दावा, और जो भी गिरवीकर्ता की मांग है और उक्त परिसर में, ईथेनॉल, उपकरण और बर्तनों और उसके हर हिस्से के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली स्पिरिट और अन्य सहायक सामग्रियों के उक्त स्टॉक को सरकार के पूर्ण स्वत्व अधिकार में उपयोग करने के लिए, हमेशा के लिए मोचन के उपबन्ध के अध्यधीन, इसमें, इसके बाद, निहित है, और बंधककर्ता स्वयं के लिए, उसके वारिस, विधिक प्रतिनिधि, और समनुदेशिती सरकार के साथ अनुबंध, कि वह, उक्त बंधककर्ता, अब विरासतों और परिसर देने का अच्छा अधिकार है और स्प्रिट का भंडार और ईथेनॉल के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सहायक सामग्री, उपकरण, और बर्तनों जो इसके द्वारा उपरोक्त रीति में तथा सभी रखभारों से मुक्त सरकार के उपयोग के लिए दी या व्यक्त की जाती है।

और कि जब भी इसके बाद सरकारी बिक्री के लिए आरक्षित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त परिसर, स्प्रिट का स्टॉक और अन्य सहायक सामग्री ईथेनॉल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा, उपकरण और बर्तन इसके द्वारा प्रदान किए गए या

व्यक्त किए गए हैं, या उसका कोई भी हिस्सा, सरकार और कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति जो इसे खरीद सकते हैं, उनके वारिस, विधिक प्रतिनिधि, और समनुदेशिती, हर समय शांतिपूर्वक अपने पास रखने और उसका आनंद लेने के लिए और उसके किराए और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी विधिक रूप से बेदखली, रुकावट, दावा या मांग जो भी बंधककर्ता से या उसके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा उसके अधीन या उसके लिए सौंपे जाने और जो भार से मुक्त हो:

और यह भी कि वह, बंधककर्ता और अन्य सभी व्यक्ति जिनके पास उक्त विरासतों, परिसरों, स्प्रिट का स्टॉक और ईथेनॉल, उपकरण और बर्तनों या किसी अन्य के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सहायक सामग्री में किसी संपत्ति या हित का विधिक रूप से या समान रूप से दावा है, उसका भाग समय–समय पर, और उसके बाद हर समय, अपने स्वयं की लागत पर, इस प्रतिभूति के जारी रहने के दौरान और बाद में उस व्यक्ति या व्यक्तियों की कीमत पर, जो इसकी आवश्यकता होती है, करना और निष्पादित करना या करवाना होगा या उक्त विरासतों और परिसरों को आगे और अधिक पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को निष्पादित किया, जो कि सरकार और अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए पूर्वोक्त तरीके से, जैसा कि उचित रूप से आवश्यक होगा या हो सकता है और इसके द्वारा, सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि बंधककर्ता उक्त अनुज्ञप्ति के जारी रहने के दौरान सरकार को उक्त आसवनी के संचालन के संबंध में ऐसे सभी भुगतान करेगा, जो समय–समय पर भुगतान योग्य हो सकता है। बंधककर्ता द्वारा देय, सरकार बंधककर्ता, उसके उत्तराधिकारियों, या विधिक प्रतिनिधियों के अनुरोध और लागत पर उक्त अनुज्ञप्ति के निर्धारण पर (किन्तु, इसके बाद, निहित उपबन्धों के अध्यधीन), वसूली और उक्त विरासतों और परिसरों, स्टॉक को पुन: असाइन करेगी। स्पिरिट, उपकरण और बर्तनों को इसके द्वारा बंधककर्ता, उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों को दिया जाता है, जैसा कि वह या वे निर्देशित करेंगे और इस बीच और जब तक बंधककर्ता द्वारा चूक नहीं की जाएगी, जैसा कि पूर्वोक्त देय भुगतानों में बंधक के कब्जे में रहेगा और उक्त विरासतों और परिसरों के किराए और लाभ की प्राप्ति और ईथेनॉल, उपकरण और बर्तनों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली स्प्रिट और अन्य सहायक सामग्री का स्टॉक और यह इसके द्वारा सहमत और घोषित किया गया है और इसके पक्षकारों का सही आशय और अर्थ यह है कि यदि बंधककर्ता द्वारा पूर्वोक्त देय भुगतानों या उनमें से किसी में चूक की जाएगी, तो और ऐसे मामले में और उसके तुरंत बाद या किसी भी समय, उसके बाद या समय–समय पर अवसर की आवश्यकता के अनुसार, सरकार या उसके या उनके अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए, जो इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत हैं और बंधक, उसके उत्तराधिकारियों या विधिक प्रतिनिधियों के विरोध या विरोध के बावजूद, प्रवेश करने के लिए वैध होगा बिक्री करने के लिए और (चाहे कब्जे में हो या बाहर) उक्त विरासतों और परिसरों, स्प्रिट के स्टॉक और अन्य सहायक सामग्री का निपटान करने के लिए जिसका उपयोग एथनॉल, उपकरण और बर्तनों के विनिर्माण के लिए किया जाता है जिसे इसके द्वारा प्रदान या व्यक्त किया जाता है। सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा या उसका कोई हिस्सा हो और ऐसी कीमत या कीमतों के लिए, जो सरकार को खरीदने की स्वतंत्रता के साथ, उसी या उसके किसी हिस्से में, और ई के लिए उचित प्रतीत होगी इस तरह की किसी भी बिक्री को प्रभावित करने के लिए सरकार के लिए सभी आवश्यक कार्य, विलेख, हस्तांतरण पत्र और आश्वासन करना और प्रवेश करना वैध होगा, और पार्टियों द्वारा और उनके बीच आगे यह घोषित किया जाता है कि ऐसे कार्य, विलेख, हस्तांतरण और इन उपहारों के तहत या उनके आधार पर किए गए, किए गए या निष्पादित किए गए आश्वासन अच्छे, वैध और प्रभावी होंगे, चाहे बंधककर्ता, उसके उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि, उसमें शामिल हों या नहीं करेंगे या उनकी सहमति नहीं देंगे और बंधक को बाध्य करेंगे, उनके वारिस या कानूनी प्रतिनिधि, और उसके या उनके अधीन दावा करने वाले अन्य सभी व्यक्तिय और इसके द्वारा आगे सहमति व्यक्त की जाती है और घोषित किया जाता है कि इसमें पहले निहित बिक्री की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और किया जा सकता है और इसके अनुसरण में किए जाने वाले सभी काम अच्छे, वैध और बाध्यकारी होंगे, भले ही किसी भी न्यायालय या इक्विटी को प्रतिबंधित करने की कोई डिक्री न हो या बंधककर्ता, उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के मोचन की इक्विटी को पुरोबंधित करना, पहले प्राप्त किया गया होगा, लेकिन उसकी बिक्री की शक्ति पुरोबंध के सामान्य उपायों के अतिरिक्त दी गई है।

और यह कि वित्तीय आयुक्त की इस तरह की किसी भी बिक्री या बिक्री से उत्पन्न होने वाले सभी धन के लिए लिखित रसीद, भुगतान करने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी और पर्याप्त उन्मोचन होगी और ऐसे व्यक्तियों को सभी जिम्मेदारी से मुक्त कर देगी इसका आवेदन या गैर–आवेदन और न ही वह या वे यह पूछने के लिए बाध्य होंगे कि क्या बिक्री नियमित थी या इन प्रस्तुतियों के अधीन प्राधिकृत हमेशा प्रदान की गई थी और इसके द्वारा और पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह सहमति और घोषणा की जाती है कि निर्धारण या रद्द करने पर उक्त अनुज्ञप्ति उपरोक्त वर्णित विरासत और परिसर और स्प्रिट का भंडार और ईथेनॉल, उपकरण और बर्तनों के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सहायक सामग्री को एक बार में फिर से नहीं भेजा जाएगा और बंधक, उसके उत्तराधिकारियों या विधिक प्रतिनिधियों को फिर से सौंप दिया जाएगा, लेकिन होगा और बंधककर्ता द्वारा देय किसी भी राशि के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में छह मास की अवधि के लिए उक्त इकाई का कार्य के सम्बन्ध में सरकार के पास गिरवी रखी जाती है।

बशर्ते कि उक्त परिसर के किसी भी समय इसके द्वारा दी गई या व्यक्त की गई पुनर्वहन को, यहां निर्धारित शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, बंधककर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने के सरकार के अधिकार को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा, स्थानांतरण और पुन: सौंपे जाने के बाद यह पाया जाएगा।

जिसके साक्ष्य में इन प्रस्तुतियों के पक्षकारों ने इसके बाद, क्रमशः उल्लिखित तिथियों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

___________ के ___________ दिन ___________ की उपस्थिति में उक्त ___________ द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया।

साक्षी______________

(1) ___________

(2) ___________

हरियाणा के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से इस ___________

________________________20_______________ के दिन को

उप आबकारी और कराधान आयुक्त_____________ द्वारा हस्ताक्षरित।'' ।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान विभाग,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 3rd November, 2021

No. 60/X-1/P.A.1/1914/Ss.21 and 59/2021.— In exercise of the powers conferred by sections 21 and 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 09/X-1/P.A.1/1914/S.9/2020, dated the 28th January, 2020, I, Shekhar Vidyarthi, Excise Commissioner, Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Distillery Rules, 1932, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Distillery (Haryana Second Amendment) Rules, 2021.

2. In the Punjab Distillery Rules, 1932 (hereinafter called the said rules), in rule 3, in sub-rule (d) –

(i) for the sign ";" existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the above said certificate shall not be required in case the license is sought for establishing a new ethanol plant for production of Ethanol only or for installing a new standalone separate Ethanol Plant within the existing licensed premises of D-2 license (there should be no common boiler, turbine, distillation process and such like facilities) for an Ethanol plant.".

3. In the said rules, in rule 4, for sub-rule (a), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(a) deposited a sum of Rupees for following licence, namely:-

License		Annual fee
1.	D-2	Rs.1,25,00,000/-plus Rs.1,30,000/-per Kilo Litre of installed capacity
2.	D-2A	Rs.15,00,000/- in addition to licence fee for existing D-2 License
3.	D-2B	Rs. 5,00,000/-".

4. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. The license shall be in following forms, namely:-

1.	D-2	Licence for a normal distillery.
2.	D-2A	Licence for a new standalone separate Ethanol Plant installed within the existing licensed premises of D-2 License (there should be no common boiler, turbine, distillation process and such like facilities).
3.	D-2B	Licence for a distillery only for production of Ethanol.

The above licenses shall not be transferable except with the sanction of the Financial Commissioner.".

5. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. The licensee holding the license in Form ;-

(a) D-2 shall execute a bond in Form D-3;

(b) D-2A or D-2B shall execute a bond in Form D-3A,

pledging the premises, stock of spirit, stills, all apparatus and utensils employed in the manufacture and storage of spirit for the due discharge of all payments which may become due to Government. With the sanction of the Financial Commissioner, the licensee may, in lieu of executing such a bond deposit in National Savings Certificates of such value as the Financial Commissioner may direct. A deposit made under this rule shall be separate and distinct from the security deposit required by rule 4.".

6. In the said rules, in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) A license granted under these rules shall be valid for a period of one year from the date of issue unless it is cancelled, determined or surrendered earlier and shall be renewable annually on the application of the licensee on payment of following annual fee namely,-

License		Annual Fee
1.	D-2	Rs.1,25,00,000/-plus Rs.1,30,000/-per Kilo Litre of installed capacity
2.	D-2A	Rs.15,00,000/- in addition to license fee for existing D-2 License.
3.	D-2B	Rs. 5,00,000/-:

Provided that a license may be cancelled for breach of the terms and conditions thereof or as may be determined by the Financial Commissioner after giving the licensee six months' notice.".

7. In the said rules, after Form D-2, the following Forms shall be inserted, namely:-

"FORM D-2A

(see rule 5)

ETHANOL LICENCE

License is hereby granted to M/s________________________ under section 21 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) alongwith the Punjab Distillery Rules, 1932 to manufacture Ethanol herein specified viz. M/s____________ on the following conditions, namely:-

CONDITIONS

1. The Licensee shall observe the provisions of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and all rules made thereunder and all rules made under any other law for the time being in force applicable to manufacture, possess, issue, sale and transport.

2. A statement of the number, size, description and capacity of the stills (distillation column) which the licensee may erect or maintain under this license and plans and statements of the premises and buildings to be used as a distillery for the manufacture of Ethanol and for store houses and other purposes connected with the business of distillation would be maintained in strict accordance with the plans approved by the Finance Commissioner, Haryana. The licensee shall not, without the prior sanction of the Finance Commissioner, erect other stills (distillation column) or otherwise alter these buildings and plant.

3. The Licensee shall at all times maintain in a state of efficiency and good repairs, to the satisfaction of the collector, the plant, buildings and stills hereby licensed.

4. The Licensee shall furnish true statements, as may be required by the Collector, in the form prescribed as per rules.

5. The Licensee shall comply with all directions of the Finance Commissioner regarding the character of spirits and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, the stock material to be maintained, denaturants to be added in the Ethanol and all other matters in which compliance is prescribed by the rules made under the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914).

6. This license is issued for Molasses/ Grain based Ethanol manufacturing unit with installed capacity of _______ KL Per day.

7. The Licensee shall not discontinue working of the Ethanol manufacturing unit (except in the case of closure for cleaning or repairing) without giving six months' notice in writing to the Collector of his intention to cease work. He shall continue to fulfill the conditions of his license during the currency of the notice.

8. If the Licensee infringes, or causes or permits any person to infringe, any of the conditions of the license, then in addition to any other action that may be under taken any other law for the time being in force, the Financial Commissioner may forthwith revoke and determine the license and forfeit to Government the whole or any part of any deposit made by the Licensee under rule 4 or rule 7 and may invoke the indemnity given as per Form D-3A.

9. The Licensee shall pay regularly and by due date the payment of license fee and other Levies which may become due to Government and in default thereof, the Financial Commissioner may forfeit to Government the whole or any part of security furnished by him under rule 6 of Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time.

10. The license shall be renewable annually on payment of fee fixed by Government from time to time and on the application of the licensee made at least sixty days before the expiry of the license.

Provided that if such application is not made within such period the Financial Commissioner may renew the license on payment of such penalty which may not be less than one lakh and more than two lakh rupees, as he may deem fit.

11. The license may be cancelled for the breach of any of the terms and conditions thereof or may be determined by the Financial Commissioner after giving the licensee six months' notice. The Financial Commissioner may give the Licensee notice in writing that his license will determine at the expiry of the period defined in the notice.

12. If the Licensee from any cause, physical or mental, becomes incapable of carrying on business, or dies or becomes insolvent, or in case the licensee is company, is wound up, the Financial Commissioner may either (1) cancel the license, (2) continue it in the name of the legal representative of the licensee.

13. Upon the revocation, cancellation or determination of the license under the preceding conditions, the licensee or his representative shall forthwith cease distilling and shall cease to use the buildings and plan for the purpose for which they were licensed. Neither the licensee nor any other person shall be entitled to any compensation or damages whatever, in respect or revocation, cancellation or determination of the license.

14. The Licensee may not hypothecate the whole or any part of licensed premises without the previous written sanction of the Finance Commissioner.

15. The Licensee shall provide adequate office and stay facilities for the Government Excise Establishment within the premises of the unit within six months in accordance with rule 15 of the Punjab Distillery Rules, 1932.

16. The Licensee shall adhere to all the directions/instructions/guidelines etc. issued by the Excise Commissioner, Haryana from time to time.

17. The licensee shall furnish the desired information as and when required by the department within a month.

18. The validity of this license shall be with effect from ________ to __________ renewable on annual basis on prescribed fee.

Dated :___________

Financial Commissioner,
Haryana.

FORM D-2B

(see rule 5)

ETHANOL LICENCE

License is hereby granted to M/s________________________ under section 21 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) alongwith the Punjab Distillery Rules, 1932 to manufacture Ethanol herein specified viz. M/s____________ on the following conditions, namely:-

CONDITIONS

1. The Licensee shall observe the provisions of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and all rules made thereunder and all rules made under any other law for the time being in force applicable to manufacture, possess, issue, sale and transport.

2. A statement of the number, size, description and capacity of the stills (distillation column) which the licensee may erect or maintain under this license and plans and statements of the premises and buildings to be used as a distillery for the manufacture of Ethanol and for store houses and other purposes connected with the business of distillation would be maintained in strict accordance with the plans approved by the Finance Commissioner, Haryana. The licensee shall not, without the prior sanction of the Finance Commissioner, erect other stills (distillation column) or otherwise alter these buildings and plant.

3. The Licensee shall at all times maintain in a state of efficiency and good repairs, to the satisfaction of the collector, the plant, buildings and stills hereby licensed.

4. The Licensee shall furnish true statements, as may be required by the Collector, in the form prescribed as per rules.

5. The Licensee shall comply with all directions of the Finance Commissioner regarding the character of spirits and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, the stock material to be maintained, denaturants to be added in the Ethanol and all other matters in which compliance is prescribed by the rules made under the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914).

6. This license is issued for Molasses/ Grain based Ethanol manufacturing unit with installed capacity of _______ KL Per day.

7. The Licensee shall not discontinue working of the Ethanol manufacturing unit (except in the case of closure for cleaning or repairing) without giving six months' notice in writing to the Collector of his intention to cease work. He shall continue to fulfill the conditions of his license during the currency of the notice.

8. If the Licensee infringes, or causes or permits any person to infringe, any of the conditions of the license, then in addition to any other action that may be under taken any other law for the time being in force, the Financial Commissioner may forthwith revoke and determine the license and forfeit to Government the whole or any part of any deposit made by the Licensee under rule 4 or rule 7 and may invoke the indemnity given as per Form D-3A.

9. The Licensee shall pay regularly and by due date the payment of license fee and other Levies which may become due to Government and in default thereof, the Financial Commissioner may forfeit to Government the whole or any part of security furnished by him under rule 6 of Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time.

10. The license shall be renewable annually on payment of fee fixed by Government from time to time and on the application of the licensee made at least sixty days before the expiry of the license.

Provided that if such application is not made within such period the Financial Commissioner may renew the license on payment of such penalty which may not be less than one lakh and more than two lakh rupees, as he may deem fit.

11. The license may be cancelled for the breach of any of the terms and conditions thereof or may be determined by the Financial Commissioner after giving the licensee six months' notice. The Financial Commissioner may give the Licensee notice in writing that his license will determine at the expiry of the period defined in the notice.

12. If the Licensee from any cause, physical or mental, becomes incapable of carrying on business, or dies or becomes insolvent, or in case the licensee is company, is wound up, the Financial Commissioner may either (1) cancel the license, (2) continue it in the name of the legal representative of the licensee.

13. Upon the revocation, cancellation or determination of the license under the preceding conditions, the licensee or his representative shall forthwith cease distilling and shall cease to use the buildings and plan for the purpose for which they were licensed. Neither the licensee nor any other person shall be entitled to any compensation or damages whatever, in respect or revocation, cancellation or determination of the license.

14. The Licensee may not hypothecate the whole or any part of licensed premises without the previous written sanction of the Finance Commissioner.

15. The Licensee shall provide adequate office and stay facilities for the Government Excise Establishment within the premises of the unit within six months in accordance with rule 15 of the Punjab Distillery Rules, 1932.

16. The Licensee shall adhere to all the directions/instructions/guidelines etc. issued by the Excise Commissioner, Haryana from time to time.

17. The licensee shall furnish the desired information as and when required by the department within a month.

18. The validity of this license shall be with effect from ________ to __________ renewable on annual basis on prescribed fee.

Dated :___________

Financial Commissioner,
Haryana.”.

8. In the said rules, after Form D-3, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM D-3A
LICENSEE'S BOND

This indenture made the______ day of ______ 20 ____ between_________ Son of ___________, caste __________, resident of _____________ herein called the Mortgagor) of the one part and the Governor of Haryana (hereinafter referred to as the Government) of the other part: whereas the Mortgagor was on the _______day of ______ 20 _____ granted a licence to work a Ethanol Manufacturing Unit at ______________ in accordance with the Punjab Distillery Rules, 1932. The said License is in terms of Form D-2A/D-2B appended with the said rules.

And whereas by rule 6 of the said rules, the Mortgagor is required to execute a Mortgage bond for the due discharge of all payments which may be, or from time to time become, payable by him to the Government on account of the said Unit;

Now this indenture witnesseth that in compliance of the said rule 6 and in consideration of the grant to the Mortgagor of the said licence to work the said Ethanol Manufacturing Unit at_________ the Mortgagor hereby covenants with the Government to pay to the Government all such payments as may be or from time to time, become payable in connection with the working of the said Unit on the days that such payments shall fall due and in further compliance of with the said Rule 6 and or the same consideration aforesaid the Mortgagor as full proprietor hereby grants, conveys, and assigns and those hereditaments and premise situated_____________ in and more particularly described and specified in the Schedule hereto attached and delineated on the plan hereto annexed and thereon coloured ______________ together with all stock of spirit and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, apparatus, and utensils, employed in the manufacture and storage of spirit, and now or hereafter, from time to time to be brought on the said premises, together with all easements, rights and things to pertinent or reputed appurtenant to the said premises and all the estate, right, title, claim, and demand whatsoever of the Mortgagor into and upon the said premises, and the said stock of spirit and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, apparatus and utensils and every part thereof, to hold the same, unto and to the use of the Government in full proprietary right, for ever subject to the proviso for redemption, hereinafter contained, and the Mortgagor for himself, his heirs, legal representatives, and assigns, hereby covenants, with the Government, that he, the said Mortgagor, now has good right to grant the hereditaments and premises, and stock of spirit and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, apparatus, and utensils hereby granted or expressed so to be unto and to the use of the Government in manner aforesaid and that free from encumbrances;

And that whensoever in exercise of the powers hereinafter reserved to the Government sale shall be made of the said premises, stock of spirit and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, apparatus and utensils hereby granted or expressed so to be, or any part thereof, the Government and any other person or persons who may purchase the same, their heirs, legal representatives, and assigns shall and may at all times thence, for quietly possess and enjoy the same and received the rents and profit thereof without any lawful eviction, interruption, claim or demand whatsoever from or by the Mortgagor or any person rightfully claiming from under or entrust for him and that free from encumbrances;

And further that he, the Mortgagor and all other persons having or lawfully or equitably claiming any estate or interest in the said hereditaments, and premises, stock of spirit and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, apparatus and utensils or any part thereof shall from time to time and at all times thereafter, at his or their own cost, during the continuance of this security and afterwards at the cost of the person or persons requiring the same, do, and execute or cause to be done or executed all such acts, deeds and things for the further and more perfectly assuring the said hereditaments and premises, upto and to the use of the Government and other persons aforesaid in manner aforesaid, as shall or may be reasonably required and it is hereby agreed that if the Mortgagor shall, during the continuance of the said licence: make to the Government all such payments, in respect of the working of the said distillery, as may be or from time to time become payable by the Mortgagor, the Government shall on the determination of the said License (but subject to the proviso hereinafter contained) at the request and cost of the Mortgagor, his heirs, or legal representatives, recovery and reassign the said hereditaments and premises, stock of spirit, apparatus and utensils hereby granted unto the Mortgagor, his heirs or legal representatives as he or they shall direct and in the meantime and until default shall be made by the Mortgagor, in the due payments as aforesaid the Mortgagor shall continue in possession and receipt of the rents and profits of the said hereditaments and premises and the stock of spirit and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, apparatus and utensils thereon. And it is hereby agreed and declared and the true intent and meaning of the parties hereto is that if default shall be made by the Mortgagor, in the due payments aforesaid or any of them, then and in such case and immediately thereupon or at any time, thereafter or from time to time as occasion shall require, it shall be lawful for the Government or his or their officers or servants, duly authorised in that behalf and Notwithstanding the dissent or opposition of the Mortgagor, his heirs or legal representatives, to enter into and upon and (whether in or out of

possession) to make sale and absolutely dispose of the said hereditaments and premises, stock of spirit and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, apparatus and utensils hereby granted or expressed so to be or any part thereof by public auction or private contract and for such price or prices as to the Government shall appear reasonable with liberty to buy, in the same or any Part thereof, and for effectuating any such sale it shall be lawful for the Government to do, make and enter into, all necessary act, deeds, conveyances and assurances whatsoever, and it is further declared by and between the Parties, hereto, that such acts, deed, conveyances and assurances done, made or executed, under or by virtue of these presents, shall be good, valid and effectual, whether the Mortgagor, his heirs or legal representatives, shall or shall not join therein or assent thereto and shall bind the Mortgagor, his heirs or legal representatives, and all other persons claiming under him or them; and it is hereby further agreed and declared that the power of sale hereinbefore contained shall and may be excercised and that all things to be done in pursuance thereof shall be good, valid and binding notwithstanding that no decree of any Court of Law or equity for barring or foreclosing the equity of redemption of the Mortgagor, his heirs or legal representatives, shall have been previously obtained but his power of sale is given in addition to the ordinary remedies of foreclosure. And that the receipts in writing of the Financial Commissioner for the time being for all moneys, to arise from any such sale or sales, shall be good and sufficient discharge to the persons paying the same and shall exonerate such persons from all responsibility in respect of the application or non-application of the same nor shall he or they be bound to enquire whether the sale was regular or authorised under these presents provided always and it is hereby agreed and declared by and between the parties hereto that on the determination or cancellation of the said License the above mentioned hereditaments and premises and stock of spirit and other incidental materials to be used for the manufacture of Ethanol, apparatus and utensils shall not be at once reconveyed and reassigned to the Mortgagor, his heirs or legal representatives, but shall be and remain mortgaged with the Government for the term of six months as security for the payment of any sums due by the Mortgagor in connection with the working of the said Unit:

Provided that the reconveyance at any time of the said premises hereby granted or expressed so to be shall not be deemed to effect the right of the Government to take proceedings against the Mortgagor in case any breach of the conditions herein set forth, shall be discovered after reconveyance and reassignment.

In witness whereof the parties to these presents have hereunto set their hand on the dates hereinafter mentioned, respectively.

Signed and delivered by the said_____________ on the __________ day of __________ in the presence of __________________

Witness____________
(1) __________
(2) __________
Signed by __________

Deputy Excise and Taxation Commissioner of ___________________

for and on behalf of the Governor of Haryana this ____
Day of ____________________20_____________________".

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.

9368—C.S.—H.G.P. Pkl.